पायनियर
नई दिल्ली, मंगलवार, 30 अगस्त, 2022

ट्विन टावर: 50 हजार टन मलबा बेसमेंट में भरा जाएगा

● बाकी मलबा हटाने का काम 90 दिन तक चलेगा, साथ ही ब्लैक बॉक्स जैसी करीब 20 मशीनें निकाली जाएंगी

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

मलबे को साफ करती जेसीबी की मशीन।

नोएडा में बने 29 और 32 मंजिला ट्विन टावर गिर चुके। हवा में घुली धूल भी छंट गई। पर काम पूरा नहीं हुआ। अभी बचा है 80 हजार टन मलबा और मशीनों में दर्ज ट्विन टावर गिरने की कहानी। मलबा हटाने का काम 90 दिन तक चलेगा। इसमें से ब्लैक बॉक्स जैसी करीब 20 मशीनें निकाली जाएंगी।

इन मशीनों से बिल्डिंग के एक्सप्लोजन से जुड़ा डेटा मिलेगा। डिमोलिशन का काम करने वाली कंपनी एडिफ इस के प्रोजेक्ट हेड उत्कर्ष मेहता और प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता ट्विन टावर को गिराने की प्रोसेस में पहले दिन से आखिर में ग्रीन बटन दबाकर ब्लास्ट करने तक शामिल रहे। उन्होंने बताया कि आगे क्या होगा। ट्विन टावर गिराने से पहले इसकी मॉनिटरिंग के लिए 20 मशीनें फिट की गई थीं।

एडिफ इस कंपनी के उत्कर्ष मेहता ने बताया कि हमें मलबे से कुछ मशीनें मिल गई हैं। इनसे डेटा निकाला जा रहा है। इसमें 2.3 हफ्ते लग सकते हैं। जमीन के अंदर लगाई गईं मशीनें मिलना बाकी हैं। हमने डस्ट मॉनिटर, नॉइस मॉनिटर और वेलोसिटी मीटर जैसी मशीनें लगाई हैं। इन्हें खोजकर डेटा जमा किया जाएगा। फिर डेटा से रिपोर्ट बनेगी।

इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। ब्लैक बॉक्स से मिलने वाला डेटा बहुत अहम है। इसमें भी वेलोसिटी और एक्सलरेशन मापने की मशीनें लगी होती हैं। डेटा से पता चलेगा कि बिल्डिंग ठीक कितने सेकेंड में नीचे आई। यहां 10 ब्लैक बॉक्स लगाए गए थे। इनमें एक मिल गया है। बाकी अभी मलबे में दबे हैं।

प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता ने बताया कि मलबा निकालने का ठेका रामकी ग्रुप के पास है। अनुमान है कि ट्विन टावर का करीब 80 हजार टन मलबा निकलेगा। इसमें से 50 हजार टन उसी के बेसमेंट में भर दिया जाएगा। मलबा हटाने का काम 90 दिन चलेगा। ये काम रामकी ग्रुप और नोएडा अथॉरिटी मिलकर करेंगे। मलबे से लोहे और सीमेंट को अलग किया जाएगा। इस काम में 20 से 25 दिन लगेंगे। लोहा निकालने के बाद बचा मलबा बेसमेंट में भर दिया जाएगा। लोहा, कंक्रीट और इस तरह के दूसरे मटेरियल रीसाइकल किए जाएंगे। रामकी ग्रुप का प्लांट नोएडा के सेक्टर.80 में है। उनके पास मलबे को ट्रीट करने का वैज्ञानिक तरीका है।

नोएडा अथॉरिटी ने इसके लिए सारे अप्प्रूवल दे दिए हैं। ट्विन टावर गिरने से करीब 4.5 मंजिल ऊंचा मलबे का ढेर बन गया है। इसे पूरी तरह हटाने में 3 महीने लग जाएंगे। उत्कर्ष मेहता ने कहा कि ट्विन टावर का डिमोलिशन परफेक्ट इंजीनियरिंग का नमूना है।

पूरी दुनिया में इसका एनालिसिस किया जाएगा। दुनियाभर में पहले भी 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले स्ट्रक्चर गिरे हैं, लेकिन उनके आसपास काफी जगह थी। गैस पाइपलाइन और आसपास बसाहट जैसी दिक्कतों के बावजूद ट्विन टावर प्लान के मुताबिक गिराए गए हैं।

आसपास की सोसायटी में ढाई गुना बढ़ा प्रदूषण

नोएडा। नोएडा का अवैध बना ट्विन टावर रविवार को ढाई बजे ढहा दिया गया। रविवार रात से अभी तक सोसायटी में रहने वालों का सिलसिला जारी है। ट्विन टावर के ढहने के बाद इसके साइड इफेक्ट सामने आए हैं। ब्लास्ट के वक्त यहां का पॉल्यूशन 5 गुना बढ़ गया है। ब्लास्ट की वजह से एस्टर-2 सोसायटी में कुछ घरों के शीशे टूट गए हैं। कुछ की दीवारों में दरार आ गई है। हालांकि कोई बड़ा नुकसान अभी तक सामने नहीं आया है। सोमवार को भी आम दिनों के मुकाबले ढाई गुना ज्यादा पॉल्यूशन रहा। एमरॉल्ड कोर्ट के कर्मचारियों ने सुबह से सफाई अभियान शुरू किया। पानी का छिड़काव के साथ ही मलबे के टुकड़ों को हटाया। एमरॉल्ड कोर्ट में रहने वाले लोगों ने बताया कि सब कुछ ठीक है। जो सड़क थोड़ी बहुत डैमेज हुई है, वह भी ठीक हो जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

नोएडा डिपो से मेरठ के लिए सात बसें बढ़ाई

नोएडा। मोरना स्थित नोएडा डिपो से मेरठ के लिए सात बसें बढ़ाई गई हैं। यह बसें मेरठ एक्सप्रेसवे होते हुए शुरू की गई हैं। पहले इस रूट पर 15 बसें चलती थीं। डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक नरेश पाल सिंह ने कहा कि इनमें सात बसें हरिद्वार और कोटद्वार तक जाती हैं। वहीं 12 बसें मेरठ और नोएडा के बीच चलती हैं। दिवाली से पहले 50 साधारण बसें मिलने की संभावना है।

हर दुकान को डस्टबिन रखना अनिवार्य हुआ

गाजियाबाद। शहर में सफाई व्यवस्था अब और भी अच्छी होने जारही है। खासकर मार्केट एरिया को नगर निगम कचरा फ्री बनाने जा रहा है। इसके लिए अगले महीने से हर दुकानदार को अपने यहां डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। जहां डस्टबिन नहीं होगा और कूड़ा करकट दुकान के बाहर पड़ा मिलेगा तो जुर्माना लिया जाएगा। इस तरह की नगर निगम ने एक कार्य योजना तैयार कर ली है। इस कार्य योजना को इंदौर की तर्ज पर तैयार किया गया है। ताकी बाजार एरिया में साफ सफाई और अच्छी हो सके। नगर निगम के हेल्थ विभाग का कहना है कि अगले महीने से इस नई व्यवस्था को शहर के सभी बाजारों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। नई पॉलिसी को लागू करने का मकसद बाजार एरिया में साफसफाई और अच्छा बनाना है। नगर निगम के हेल्थ अफसर डॉ. मिथलेश कुमार ने गत दिनों इंदौर सिटी का दौरा किया है। वहां भी इसी तरह की व्यवस्था लागू है। अब सभी मार्केट को नगर निगम और स्मार्ट बनाने जा रहा है।

ऑल इंडिया मेयर कौंसिल की बैठक संपन्न

गाजियाबाद। ऑल इंडिया मेयर कौंसिल की बैठक छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो रही है। इस बैठक में यूपी के सभी नगर निगमों के मेयर शामिल हो रहे है। बैठक आज भी चलेगी। बैठक में मेयर आशा शर्मा गाजियाबाद नगर निगम का प्रतिनिधित्व कर रही है। मेयर कौंसिल की बैठक हर तीन महीने में प्रदेश या देश के किसी न किसी राज्य के महानगर में होती है। गत दिनों यूपी के प्रयागराज में यह बैठक आयोजित की गई थी। इस बार ऑल इंडिया मेयर कौंसिल की बैठक छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने जा रही है। इस बैठक में बड़ी संख्या में देश के मेयर शामिल होने जा रहे है। कौंसिल की इस बैठक में देश स्तर पर अलग अलग राज्य सरकारों की चल रही पॉलिसी पर विचार किया जा रहा है। किस प्रदेश में मेयर को क्या अधिकार है और क्या अधिकार मेयर को मिलने चाहिए। इसको लेकर व्यापक स्तर पर चर्चा के लिए यह बैठक हो रही है। बैठक का सोमवार अंतिम दिन है।

गायों में तेजी से फैल रही है लम्पी स्किन डिजीज

नोएडा। कृषि विज्ञान केन्द्र की ओर से ग्राम बम्बावड में पशुपालन प्रशिक्षण एवं जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केन्द्र के पशुपालन विशेषज्ञ डॉ कुंवर घनश्याम ने दुधारू पशुओं में विशेष रूप से गायों में आजकल तेजी से फैल रही लम्पी स्किन डिजीज एलएसडी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यह एक वायरल बीमारी है, जिससे पशु के सारे शरीर पर गाठें बन जाती हैं और इसमें मवाद पश पड़ने लगता है। यह एक संक्रामक रोग है, जो विषाणुजनित है। पशु के शरीर पर बनी गाठों का यदि इलाज न किया जाये तो उसमें कीड़े भी लग जाते हैं। इस रोग की शुरुआत में तेज बुखार, लिम्फ ग्रथियों में सूजन व घाव छोटे से बड़े तक हो सकते हैं। दुग्ध उत्पादन में कमी, पशुओं में तनाव, आंखों मे लालिमा कंजक्टिवाइटिस, शरीर के विभिन्न भागों में सूजन व पानी भर जाता है।

महिला का अश्लील वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार

नोएडा। सेक्टर-20 थाना क्षेत्र में एक महिला का बाथरूम में नहाते समय कथित तौर पर अश्लील वीडियो बनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर-20 थाना के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सेक्टर-45 में रहने वाली महिला एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सेक्टर-20 निवासी अपने भाई के यहां आई थी। 27 अगस्त की सुबह महिला बाथरूम में नहा रही थी तो उसे कुछ हलचल महसूस हुई। सिंह के मुताबिक, महिला ने ऊपर की तरफ देखा तो एक मोबाइल दिखाई दिया, जिसके जरिए दूसरे फ्लैट से वीडियो बनाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि महिला बाहर निकलकर आई और पास वाले घर में गई, जहां प्रदीप नाम का युवक मौजूद था।

बुलेट रानी की गुंडागर्दी, पहले रॉन्ग साइड में मारी टक्कर, फिर महिला सिपाही को पीटा

● पुलिस ने शिवांगी को किया गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

पुलिस गिरफ्त में आरोपी महिला।

महिला सिपाही से मारपीट के मामले में पुलिस ने बुलेट रानी के नाम से चर्चित सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शिवांगी डबास को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ड्यूटी से लौट रही महिला सिपाही की स्कूटी को स्विफ्ट कार ने टक्कर मार दी थी। विरोध करने पर कार में बैठी शिवांगी डबास ने महिला सिपाही के साथ मारपीट कर दी थी।

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में डायल-112 के ओएमसी ऑपरेशन मिररिंग सेंटर पर तैनात महिला सिपाही ज्योति शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि रविवार रात करीब 10 बजे वह ड्यूटी करके स्कूटी से घर लौट रही थीं। जैसे ही वह सिटी पार्क कट के सामने से सड़क पार कर रही थीं, उसी दौरान पीछे से आई स्विफ्ट कार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी।

ज्योति शर्मा का कहना है कि जब उन्होंने कार चालक को सही तरीके से ड्राइविंग करने की बात कही तो एक युवती कार में से उतरकर आई और उनके साथ गाली-गलौज करने लगी। विरोध करने पर वह युवती और भी तैश में आ गई। महिला सिपाही का कहना है कि युवती ने उनकी वर्दी फाड़ते हुए उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। उसने कहा कि उसका नाम शिवांगी डबास है। वर्दी की सारी हेकड़ी निकाल देगी। महिला सिपाही का कहना है कि इसी दौरान उनकी सहकर्मी सिपाही पीछे से आई तो युवती कार में बैठकर फरार हो गई।

कार्यवाहक सीओ कविनगर आकाश पटेल का कहना है कि महिला सिपाही की शिकायत पर शिवांगी डबास को गिरफ्तार कर लिया है।

ग्रेनो में मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग

● सो रहे युवक की हुई दर्दनाक मौत

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

सोमवार सुबह एक मिठाई की दुकान में अचानक आग लग गई और इस दौरान दुकान में सो रहे युवक की मौत हो गई। दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान भी जलकर राख हो गया हालांकि दमकल विभाग के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है।

बीटा 2 थाना क्षेत्र के जगत फार्म में यतेंद्र शर्मा की पहलाद स्वीट्स के नाम से एक दुकान है। सुबह यतेंद्र शर्मा ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी दुकान में शार्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई है। जिसके बाद पुलिस और दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया लेकिन इस दौरान दुकान में अंदर सो रहे एक युवक की आग में झुलसने से मौत हो गई। मथुरा जिले के राया का रहने वाला शशि कपूर 21 पहलाद स्वीटस की मिठाई की दुकान पर ही कार्य करता था और रात को दुकान में ही सो जाया करता था। रात भी वह दुकान में सो गया था लेकिन अचानक दुकान में आग लग गई और वह दुकान से बाहर नहीं निकल पाया। इस वजह से आग में झुलस कर और धुएं से दम घुटने से उसकी मौत हो गई।

पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने के बाद उसके शव को बाहर निकाला। इस दौरान दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है।

फिल्म सिटी के लिए दोबारा निकलेंगे टेंडर कंपनी खुद बना सकेगी डेवलपमेंट प्लान

● 40 साल की जगह 90 साल का लाइसेंस मिलेगा

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में 100 एकड़ में बनने वाली फिल्म सिटी के टेंडर दोबारा निकालने को लेकर एक बार फिर से कवायत शरू हो गयी है। इसको लेकर बीते शनिवार को लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में आरएफपी टेंडर और अनुबंध पत्र व कंसेसेन अग्रीमेंट पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान तय हुआ की पीपी मॉडल पर बनने वाली फिल्म सिटी की विकास करता कंपनी को अब 40 साल की बजाये 90 साल का लायसेंस दिया जाएगा।

यह भी तय हुआ की कंपनी को खुद डेवलपमेंट प्लान बनाने की आजादी होगी। इस सब के लिए सितम्बर में ग्लोबल टेंडर निकला जायेगा। फिल्म सिटी के आलावा इस परियोजना में एम्यूज़मेंट पार्क, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ब्रॉडकास्टिंग, मीडिया एंटरटेनमेंट, फिल्म इंस्टीटष्यूट आदि शामिल किया गया है। सूत्रों का कहना है कि विकासकर्ता कंपनी को सालाना 116 करोड़ रुपये या कुल कमाई का 2 प्रतिशत दोनों में से जो अधिक होगा, वह देना पड़ेगा।

लखनऊ में हुई बैठक में नए नियमों पर मुहर लग गई। दोनों डाक्यूमेंट तैयार कर उसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी पास कराया जाएगा।

भौतिक कब्ज़े की सूचना

ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंज़िल, प्लॉट नंबर- 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005

जबकि

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित कर्ज़दारों को माँग सूचनाएँ निर्गमित की थीं, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि को प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार/ज़मानतदार राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद् द्वारा कर्ज़दार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा भौतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है। एतद् द्वारा विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ भौतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	वीना मल्होत्रा/अजीत मल्होत्रा/ LBNOD00005332960/ LBPNP00005147670/ LBPNP00005147672	प्लॉट नंबर 156, कृष्ण नगर तहसील कैंप पानीपत, हरियाणा/ अगस्त 22, 2022	सितंबर 27, 2021 रु. 44,60,795/-	दिल्ली/ एनसीआर

उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार एवं ज़मानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णत: नियम 8 और 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक : अगस्त 30, 2022
स्थान : दिल्ली/ एनसीआर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लि.

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

कब्जा सूचना

कार्पोरेट कार्यालय :- महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, साधना हाउस, द्वितीय तल, 570, पीबी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400 018, भारत, फोन : +91 22 66523500, फैक्स : +91 22 24972741
शाखा कार्यालय : एलडीए कालोनी, बी-2/बी-70, कानपुर रोड, निकट फीनिक्स मॉल, लखनऊ
शाखा कार्यालय : प्रथम तल, आशा मॉडर्न स्कूल लेन, निकट सिविल कोर्ट, कोर्ट रोड, आर जी प्लेस के सामने, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247001

(अचल सम्पत्ति के लिए) (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अधीन)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, मैसर्स महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (इसमें आगे "एमआरएचएफएल" कही गई है), जिसका पंजीकृत कार्यालय लखनऊ में और शाखा कार्यालय सहारनपुर में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन आप कर्जदारों (नाम और पता नीचे वर्णित) को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उक्त सूचना में वर्णित बकाया राशि, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

उपरिवर्णित कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा उपरिवर्णित कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित संपत्ति का कब्जा इस 7 तारीख को ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों को तथा सर्वसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम	प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना तिथि एवं राशि	कब्जा की तिथि
1.	(एलसी नंबर : 1356891 सहारनपुर शाखा) आशु कश्यप (कर्जदार) धरमपाल (सह-कर्जदार) रेखा (सह-कर्जदार)	खसरा नंबर 292 मिन, ग्राम हरपाली, शेरू बांस, हरपाली ग्राम मार्किट रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247340, प्लॉट एरिया : 1223.117 पूरब :- रोड 12 फीट, पश्चिम :- इस्माइल का मकान, दक्षिण :- रामपाल की सम्पत्ति, उत्तर :- इस्माइल का मकान	30-05-2022 रू. 13,40,565/-	25-08-2022 सांकेतिक कब्जा
2.	(एलसी नंबर : 914478 सहारनपुर शाखा) मोहम्मद यासीन (कर्जदार) सराज बेगम (सह-कर्जदार)	मकान नंबर 4/1464 (पुराना) तथा 4/2757 (नया) नवाबगंज, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247001, प्लॉट एरिया : 444.264 पूरब :- श्री नाथूराम का मकान, पश्चिम :- श्री शीश राम का मकान, दक्षिण :- श्री सुखराम का मकान, उत्तर :- गली 6 फीट चौड़ी	31-05-2022 रू. 6,33,310/-	26-08-2022 सांकेतिक कब्जा
3.	(एलसी नंबर : 983917 सहारनपुर शाखा) बबीता (कर्जदार) नरेन्द्र कुमार (सह-कर्जदार)	प्लॉट नंबर 12, खसरा नंबर 427 तथा 438 दर कोट ताला स्वाद बैरून दर आबादी, शिव विहार कालोनी, ग्राम नजीरपुरा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247001, प्लॉट एरिया : 900 पूरब :- अन्य प्लॉट, पश्चिम :- रास्ता 18, दक्षिण :- प्लॉट नंबर 13, उत्तर :- प्लॉट नंबर 11	13-08-2021 रू. 9,57,867/-	26-08-2022 सांकेतिक कब्जा

स्थान : दिल्ली, सहारनपुर तिथि : 30-08-2022 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

सिद्ध ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड

आर-13, एस/एफ ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048, सीआईएनः एल34102डीएल1985पीएलसी020156
ई-मेलः sidhindia1985@gmail.com, वेबसाइट : www.sidhgroup.in, फोन नंबर : 011-41053325

वार्षिक सामान्य बैठक, ई-वोटिंग एवं बही बंदी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सिद्ध ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ("दि कमपनी") के सदस्यों की 37वीं वार्षिक समान्य बैठक ("एजीएम") का आयोजन शुक्रवार, 30 सितंबर 2022 को अप 1.00 बजे आर-13, एस/एफ ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 में किया जाना अनुसूचित है, जिसमें कंपनी की एजीएम आयोजन सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों का निष्पादन किया जाएगा।

अन्य के साथ रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं विधि के उल्लेखयुक्त एजीएम की सूचना, उपस्थिति पर्ची एवं परोक्षी प्रपत्र सहित, उन सदस्यों, जिनके नाम सदस्यों की पंजिका/डिपॉजिटरीज से प्राप्त लाभार्थियों की सूची में दर्ज मौजूद हैं, को 29 अगस्त, 2022 को निम्नलिखित तरीके से भेजी जा चुकी है,
क. उन सदस्यों को ई-मेल माध्यम से जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करा दी है; तथा
ख. अन्य सदस्यों को डाक के माध्यम से जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014, यथा संशोधित, के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 ('सूचीकरण विनियमावली') के विनिमय 44 और भारतीय कंपनी सचिवीय संस्थान द्वारा निर्गत सामान्य बैठक पर साचिविक मानक (एसएस2) के निबन्धनों में कंपनी अपने सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से कंपनी की एजीएम आयोजन सूचना में विनिर्दिष्ट किसी व्यवसाय अथवा समस्त व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा मतदान करने के अपने अधिकार का उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अनुसार निर्धारित विवरण निम्नानुसार हैं:

क) सदस्यगण जो कि कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितंबर 2022 के अनुसार भौतिक प्रारूप में अथवा अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण किए हुए हैं तथा जिनके नाम सदस्यों की पंजिका में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में अभिलेखित हैं ('योग्य सदस्यगण'), वे कंपनी की एजीएम आयोजन सूचना में विनिर्दिष्ट किसी व्यवसाय अथवा समस्त व्यवसायों पर रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में आयोजित होनेवाले मतदान द्वारा मतदान करने के अपने अधिकार का उपयोग करने के अधिकारी होंगे;
ख) रिमोट ई-वोटिंग का प्रारंभ मंगलवार, 27 सितंबर 2022 को प्रातः 9.00 बजे होगा;
ग) रिमोट ई-वोटिंग का समापन बृहस्पतिवार 29 सितंबर 2022 को सायं 5.00 बजे होगा;
घ) तत्पश्चात् रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान हेतु अयोग्य कर दिया जाएगा तथा उसके उपरान्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी सदस्य द्वारा एक संकल्प पर एक बार मतदान कर दिया जाता है तो सदस्य को बाद में उसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।
ङ.) सदस्यगण यह नोट कर लें कि :
- एजीएम में मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान न करने वाले बैठक में उपस्थित सदस्यगण बैठक में मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने में समर्थ हो सकेंगे।
- एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का उपयोग कर चुकने के उपरान्त भी एजीएम में भागीदारी कर सकता है परन्तु उसे एजीएम में मतदान करने की अनुमति प्राप्त नहीं होगी।

च) यदि कोई व्यक्ति एजीएम सूचना के प्रेषणोपरान्त परन्तु कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितंबर 2022 को अथवा इससे पूर्व कंपनी का एक सदस्य बन चुका है तो वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध पत्र भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
छ) एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों की पंजिका में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में अभिलेखित है केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
ज) किसी भी पूछताछ या प्रश्न करने की स्थिति में आप http://www.evoting.com के डाउनलोड सेक्शन्स पर उपलब्ध सदस्यों हेतु फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेसचन्स (एफएक्यू) तथा सदस्यों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा श्री राकेश दाल्वी, वरि. प्रबंधक को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर संपर्क कर सकते हैं अथवा 1800-200-5533/ 91-22-23058543 सीडीएसएल, मैराथन फ्यूचरेक्स, एक-विंग, 25वां तल, एनएम जोशी मार्ग, लोवर पार्ले, मुंबई-400013 को कॉल कर सकते हैं।
झ) निदेशक मण्डल ने सुश्री टीना रानी, सेवारत कंपनी सचिव को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने एवं इंस्टा चुनाव प्रक्रिया की एक उचित एवं पारदर्शी विधि के तहत जांच करने के लिए जांचकर्ता में रूप में नियुक्त किया है।
ञ) कंपनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां जो हैं वो एजीएम के उद्देश्यार्थ शनिवार, 24 सितंबर 2022 से लेकर शुक्रवार, 30 सितंबर 2021 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

सदस्यगण रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया तथा विधि के लिए एजीएम सूचना का संज्ञान ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतदान से संबद्ध कंपनी के सदस्यों की किसी भी शिकायत अथवा समस्या को श्री राकेश दाल्वी, वरि. प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए-विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोवर परेल (ईस्ट), मुंबई-400013 को संबोधित कर सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं अथवा 1800-200-5533 पर कॉल कर सकते हैं अथवा वे कंपनी सचिव को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर लिख सकते हैं।

एजीएम आयोजन की सूचना तथा अन्य संगत प्रलेख कंपनी की वेबसाइट www.sidhgroup.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट evoting@cdslindia.com पर उपलब्ध होंगे।

बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते सिद्ध ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड
हस्ता./-
अनिल शर्मा
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02928210

दिनांक : 29-08-2022
स्थान : नई दिल्ली

मोहित हत्याकांड में अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, जांच पर उठे सवाल

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

ग्रेटर नोएडा में लुहारली गांव के निवासी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के इंजीनियर मोहित भाटी हत्याकांड में सोमवार को जिला न्यायालय ने सजा सुनाई है। मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के प्राइवेट एडवोकेट चमन प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस ने बेहद दबाव में जांच की। जिसकी वजह से बहुत सारे तथ्यों को छोड़ दिया गया था। अभियोजन के दौरान हम लोगों ने इन सारे बिंदुओं को अदालत के सामने रखा। जिसके आधार पर सोमवार को सजा सुनाई गई है। युवक मोहित भाटी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में इंजीनियर थे।

चमन एडवोकेट ने बताया, मोहित भाटी 27 नवंबर 2018 की शाम अपने कार्यालय से काम करने के बाद घर वापस लौट रहे थे। जब वह लुहारली गांव के पास पहुंचे तो पुनीत भाटी ने मोहित को तीन गोलियां मारी थीं। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस प्रकरण में लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाई गई थी।

दाखिला कराने डीपीएस पहुंचे अधिकारी, हंगामा

गाजियाबाद। आरटीई के तहत स्कूल आंवटित होने के बाद भी बच्चों को पांच महीने से दाखिला नहीं मिल पा रहा है। जिसे लेकर अभिभावक संघ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी भी स्कूलों में पहुंचकर दाखिले करा रहे हैं। सोमवार एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास व सिटी मजिस्ट्रेट मेरठ रोड स्थित डीपीएस पहुंचें। स्कूल प्रिंसीपल ने एडमिशन के लिए दो दिन का समय मांगा। लेकिन, मौके पर एसोसिएशन की अध्यक्ष शिवानी जैन अन्य के साथ धरना देकर बैठ गए।

नॉर्थ-ईस्ट फेस्टिवल: 8 राज्यों के उत्पादों की लोगों ने जमकर की खरीददारी

● सीतलपट्टी के बने बैग एवं पर्स लोगों को खूब पसंद आए

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

सेक्टर-33 स्थित नोएडा हाट में आयोजित नॉर्थ-ईस्ट फैसटिवल के चौथे दिन सोमवार को यहां खरीददार उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने यहां जमकर खरीददारी की।

आसाम के सीतलपट्टी के बने बैग एवं पर्स लोगों को खूब पसंद आये। वहीं मणिपुर की हाथी मिर्ची, कटोरे, प्लैटस आदि, मिजोरम के बेंम्बू के सामान, बास्केट, हस्त निर्मित कपडे व खिलौने, नागालैंड की नागा शॉल, आभूषण, लैदर आदि के सामान, त्रिपुरा के हस्त निर्मित सामान, फर्निचर, सिल्वर ज्वैलरी आदि ने लोगों को खासा आकर्षित किया। ज्ञात हो कि यह आयोजन भारत सरकार के मंत्रालयों डोनर मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टैक्सटाइल के डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडिक्राफ्ट तथा नेशनल डिजाइन सेंटर एवं नार्थ ईस्ट स्टेट गार्वमेंट डिपार्टमेंट के पारटिसिपेशन सहयोग से किया जा रहा है।

यहां फैस्टिवल के दौरान नार्थ ईस्ट के परंपरागत खानपान की झलक भी देखने को मिलेगी नोएडा हॉट में आठों प्रदेशों के खाने के स्टाल भी लगाए जाएंगे। जहां खार्जी, मोमो, ऑमिटा खार, जैडोह, केली चना, पंच फॉरन तरकारी, चाखवी तथा थुकपा का स्वाद भी लोग ले सकेंगे।

यहां घर की सजावट के आकर्षक सामान लोगों को खासे पसंद आ रहे हैं। 26 अगस्त से शुरू हुए 17 दिनों तक चलने वाले फैस्टिवल में लोग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खरीददारी कर सकेंगे।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक नरेन्द्र कुमार द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। कार्यकारी संपादक: नवीन उपाध्याय, स्थानीय सम्पादक: प्रदीप तिवारी।

पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं।

पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879900।